फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पूरण राव निवासी 0.200 आजाद नगर, अम्बेश हॉस्पीटल के पीछे भीलवाड़ा जिला भीलवाडा **— अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 108/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.12..2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अ.108/2024/7025 दिनांक 29.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जरिये डाक दिनांक 04.10.2024 से इस अनुभाग को प्राप्त हुआ। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन में ईप्सित सूचना अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वांछित सूचना, के संबंध में कोई पत्रादि संलग्न नहीं होने से उक्त सूचना तक पहुँच नही बनाई जा सकी जिसके संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 5089 दिनांक 10.10.2024 से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार ईप्सित सूचना के संबंध में संबंधित दस्तावेज करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्रांक की पालना में प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए जिसके अभाव में सूचना तक पहुंच बनाना संभव नही है। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 5089 दिनांक 10.10.2024 से प्रार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं	

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 5089 दिनांक 10.10.2024 से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार ईप्सित सूचना के संबंध में संबंधित दस्तावेज करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्रांक की पालना में प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए जिसके अभाव में सूचना तक पहुंच बनाना संभव नही है। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 5089 दिनांक 10.10.2024 से प्रार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10/12/24

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)